न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2022-210RAAJodhpur2022-125RTA225 Achaldan ors Vs Surajkanwar etc

01. अचलदान पुत्र रामूदान
02. ईशरदान पुत्र खेतदान
03. जगदीशदान पुत्र रामुदान
04. दुर्गादान पुत्र रामुदान
05. देवपालसिंह पुत्र विशनदान
06. प्रभूदान पुत्र खेतदान
07. प्रेमकंवर पत्नी गोपालदान
08. प्रवीण कुमार पुत्र दुर्गादान
09. बख्तदान पुत्र खेतदान
10. भगवानदान पुत्र रामुदान
11. लिच्छूकंवर पत्नी भंवरदान
12. मदनदान पुत्र भंवरदान
13. नारायणदान पुत्र भवंरदान
14. प्रभूदान पुत्र भंवरदान
15. धीरूकंवर पुत्री भंवरदान
16. समुकंवर पुत्री भंवरदान
17. भवानीशंकर किनीया पुत्र कल्याणदान
18. मदनदान पुत्र कल्याणदान
19. मैना पत्नी रामुदान
20. यशपालसिंह पुत्र विशनदान
21. लक्ष्मणदान पुत्र कल्याणदान
22. विधाकंवर पत्नी दुर्गादान
23. सिरूकंवर पत्नी कल्याणदान

सभी जातियान् चारण निवासीगण- ग्राम सुवाप, तहसील आउ, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

01. सुरजकंवर पत्नी भंवरदान
02. मनोहरकंवर पत्नी किशनदान
03. मोहनकंवर पत्नी सुरजदान
04. शैतानदान पुत्र बाबूदान

सभी जातियान् चारण निवासीगण- ग्राम सुवाप, तहसील आउ, जिला जोधपुर।

रेस्पो.

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

05. कुशलकंवर पत्नी लालूदान
06. महेन्द्रसिंह पुत्र भंवरदान
जातियान् चारण, निवासीगण- ग्राम सुवाप, तहसील आउ, जिला जोधपुर।
07. ग्राम पंचायत ईशरू जरिये सरपंच, तहसील बापीणी, जिला जोधपुर।
08. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आउ, तहसील आउ, जिला जोधपुर।

प्रफोर्मा रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 11 मार्च 2022 सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लोहावट राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 44/2022 सुरजकंवर व अन्य बनाम अचलदान इत्यादि

उपस्थित-
श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री रोशनलाल, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक से चार
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या आठ

नि र्ण य

दिनांक : 06 नवंबर 2024

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 44/2022 अनवान सुरजकंवर व अन्य बनाम अचलदान इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 11 मार्च 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 24 मई 2022 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

संक्षिप्त प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से चार ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 21 रकबा 2.7600 हैक्टेयर, खसरा नं. 21/2 रकबा 2.3634 हैक्टेयर एवं खसरा नं. 112 रकबा 3.

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

6422 हैक्टेयर ग्राम सुवाप तहसील आउ के संबंध में धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद प्रस्तुत किया। वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर दावे के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजी के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 11 मार्च 2022 जरिये प्रार्थना पत्र अन्तरिम रूप से स्वीकार कर लिया, जिसके विरुद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलांट्स की सहखातेदारी की भूमि है। विचारण न्यायालय ने सह खातेदारी की भूमि में संपूर्ण रकबे में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी, जबकि कानूनन पक्षकारान् के हिस्से से अधिक भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अपीलार्थीगण रेकर्डेड सहखातेदार है। एक रेकर्डेड खातेदार को कानूनन अस्थाई निषेधाज्ञा से पावंद नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश के कारण सह खातेदार अचलदान पुत्र रामुदान व मैनाकंवर पत्नी रामुदान की केसीसी का कार्य रुक गया है, इस कारण एक खातेदार को उसके खातेदारी अधिकारों के उपयोग व उपभोग में अपूरणीय क्षति हो रही है। इसलिए अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय एवं प्राकृतिक न्याय क सिद्धांतों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एकपक्षीय अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलांट्स द्वारा निष्पादित बेचाननामा दिनांक 22.07.2021 की पालना मे नामांतरकरण की कार्यवाही रुकने पर अपीलांट्स द्वारा विचारण न्यायालय से दिनांक 05.05.2022 को अपीलाधीन आदेश की नकल लेने पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रथम बार जानकारी हुई। इससे पूर्व अपीलांट्स को अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं थी।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 05 मियाद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं गुणावगुण पर अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11 मार्च 2022 को निरस्त किया जावे

जवाब में अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या एक से चार ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि है। अपीलांट्स द्वारा विचारण न्यायालय में अपना जवाब प्रस्तुत किये बिना ही सीधे ही अंतरिम आदेश के विरुद्ध हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है जो पोषणीय नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद के विचारण के दौरान वादग्रस्त भूमि को संरक्षित रखने के लिए विधिसम्मत अंतरिम आदेश पारित किया है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज फरमाया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब का प्रश्न हैं। मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के बिंदु पर नरम रुख अपनाते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अपील अपीलांट्स अंदर म्याद शुमार की जाती है।

उपलब्ध अभिलेख मुताबिक वादग्रस्त आराजी उभय पक्ष की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश के जरिये वादग्रस्त भूमि के संपूर्ण भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी गई है। अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

न्यायालय में मात्र बंटवाड़े का दावा विचाराधीन है। अपीलाधीन अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रभाव से पक्षकारान् के कृषि विकास कार्य हेतु केसीसी इत्यादि की कार्यवाही को रोका जाना न्यायोचित नहीं है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु अपीलाण्ट्स के पक्ष में प्रतीत होते है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिंद्धांतों के विपरीत पारित किये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

यह भी उल्लेखनीय है कि हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। मामला उभय पक्ष की समुचित सुनवाई उपरांत अंतिम निस्तारण हेतु पुनः विचारण न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में पक्षकारान् को कृषि विकास कार्य हेतु रहन, केसीसी इत्यादि की छूट प्रदान करते हुए मामला विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का 2 माह की अवधि में विधिसम्मत निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर